अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

107/2020/225 श्रीमती रचना V/s अखिलेश वगैरा

2020/07/07

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री रामदेव गुर्जर, एड० अपी० श्री	

8.7.20

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 जा.दी. पेश हुयी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 जा.दी. निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत् पेश किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 1.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 1.13 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.06 हैक्टर भूमि है रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जीतराम राम के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी इन्द्राज से दर्ज थी जबकि वादग्रस्त आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दादा रामस्वरूप ने अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की थी जिससे उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आशय का वाद एवं प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर दिनांक 26.06.2020 को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश पारित कर दिया। जबकि वास्तविक स्थिति में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 द्वारा आपस मे मिलीभगत कर अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । बहस को आगे बढ़ाते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 419 को जरिये विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 2 से क्रय किया है जिसकी संपूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को थी। उक्त खरीद खुदा आराजी का अपीलांट के पक्ष में अधिकार अभिलेख में हिस्सा 10117/11300 का नामान्तकरण खुल चुका है तथा शेष हिस्से 1183/11300 का विक्रय पत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 17.06.2020 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है जिसका आधार अभिलेख में अंकन होना शेष है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 1.93 हैक्टर का बेचान इकरारनामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा पूर्व खातेदार राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनुमान से खरीद किया गया है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 214 दिनांक 07.09.2015 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नियुक्त नहीं किये जाने से उपरोक्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर न कर अवैधानिक आदेश दिनांक 26.06.2020 को पारित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.06.2020 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की उम्र वाद पत्र में 7 वर्ष अंकित की गई है जो वाद व प्रार्थना पत्र जरिये संरक्षिका माता श्रीमती अनिता पत्नि जीतराम जाति जाट के द्वारा पेश किया गया है जबकि संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियत 1890 के तहत् पिता ही पुत्र का विधि के तहत् संरक्षक होता है पिता के फौत होने के पश्चात् माता संरक्षक होती है जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट 2 जीवित है और जीवित अवस्था में माता संरक्षक नहीं हो सकती है एवं संरक्षक नियुक्त करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई

निरन्तर....

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O.

55

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

107/2020/225 श्रीमति रचना V/s अखिलेश कौर

तारीख पेशी	2020/00107 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री रामदेव गुर्जर, एड० अपी० श्री	

निरन्तर---

प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन विधिक तथ्यों का समालोचन न करके अपनी शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का पूर्ण तौर से अवलोकन न करके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विश्वास कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट के साम्पतिक एवं स्वत्व अधिकार समाप्त हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की आड़ में अपीलांट को मौके से बेदखल करने पर आमादा है जबकि अपीलांट सद्भाविक रूप से क्रेता एवं खातेदार है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि विधि के विपरीत एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन न करके किसी तृतीय पक्षकार के अधकारों का कुठाराघात करने वाला कोई आदेश पारित कर दिया गया हो तो अपीलीय न्यायालय द्वारा तुरन्त प्रभाव से ऐसे आदेश को निरस्त करके अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया त्रुटिपूर्ण अविधिक आदेश को निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया/अपीलार्थीया विवादित आराजी की सद्भाविक क्रेता है को बिना पक्षकार संयोजित किये एवं बिना सुने आदेश पारित किया है। प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने फर्द दस्तावेज पेश के साथ जमाबंदी सम्वत 2076 (वर्ष 2019) की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 26.6.2020 की पालना में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश नोटिस लगा हुआ है। प्रार्थीया/अपीलांट के पक्ष में तीन महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पूर्ण रूप से सिद्ध है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 26.06.2020 की पालना ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी का निस्तारण करना उचित समझते है । अभिभाषक अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलांट ने विवादित आराजियात खसरा नंबर 419 में रेस्पो0 संख्या 2 से 10117/11300 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था जिसका नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक हो चुकार है एवं शेष हिस्सा 1183/11300 भी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.6.2020 को रेस्पो0 संख्या 2 से क्रय कर लिया है जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन होना शेष है । खसरा नंबर 387 रकबा 1.93 है0 के पूर्व खातेदार राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनुतान थे जिनसे रेस्पो0 संख्या 2 ने क्रय की थी जिसका नामांतकरण संख्या 214 दिनांक 7.9.2015 रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज था । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 387 भी जरिये इकरारनामा अपीलांट को विक्रय की है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित आराजियात के जरिये विक्रय पत्र एवं इकरारनामा सद्भाविक क्रेता है जिन्हें रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार संयोजित न कर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है । अपीलांट विवादित आराजियात के सद्भाविक क्रेता होने से अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित प्रभावित होना जाहिर होता

निरन्तर---

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

-2-

५५

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

107/2020/225 श्रीमती रचना V/s अखिलेश व अन्य

2020/07/07

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री रामदेव गुर्जर, एड० अपील श्री	
निरन्तर ---	है। हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है ।	

अतः अपीलांट अपीलाधीन प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है ।

अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), दूदू के द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत् माता को संरक्षक बनाकर जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं वाद प्रस्तुत किया है जो विधि विपरीत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.06.2020 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 387,419 कुल किता 2 कुल रकबा 3.06 हैक्टर वाके ग्राम गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश न्यायहित में पारित किये है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर, प्रार्थीया/अपीलांट एवं उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निस्तारण उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर